

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान बनाम
 प्रकरण संख्या / अन्तर्गत धारा.....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
--------	-----------------------------------	---

२९/३
 अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राचीन पत्र हेतु सप्रथ पेश। तब की अधिवक्तागणों पेशी तक बहाल जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्राचीन पत्र दिनांक १९/०५/२३ को पेश की।

१९/५
 अधिवक्तागण उपस्थित। अप्राचीन अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्राचीन पत्र पेश किया। नकल दिलाई गई। सप्रथम प्रिसल रहे। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक १९/०५/२३ को पेश की ①

१९/५
 फील्ड फटीकन उपस्थित श्री मान PO साहब. १५५५ में पधारि।
 पत्रावली दिनांक १९/५/२३ को पेश की। (Karnal)

१९/७
 प्राची व प्राची अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्राची व प्राची अधिवक्ता को रुक-रू कर उबार आवाज लगावाई गई कोई उपस्थित नहीं आयी। प्राची का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RPA इसी स्तर पर धारित किया जाकर प्रकरण में जारी अधिवाही निवेदना दिनांक १८/०७/२२ भी निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्गत होकर श्रमवत् से फर्म होकर तबिल प्रकृत की ①



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्री करणपुर

